न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:— 12 / 138 / 2018

अपीलार्थी:—	प्रत्यर्थी:—
श्री दीपेश कुमार पुत्र प्रताप सिंह निवासी मिलकपुर पो0 मांचल तहसील बहरोड–जिला अलवर।	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:— 27.11.2018

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 04.10.2018 के माध्यम से वर्णित पत्र में बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 27.11.18 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया । लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 2405 दिनांक 19.11.2018 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि "उक्त प्रा0 पत्र दिनांक 04.11.2018 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांकः 2290 दिनांकः 06.11.18 के माध्यम से वांछित दस्तावेजों की प्रतिलिपि हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (3) (क) के तहत अधिनियम में वर्णित निर्धारित समयावधि में ही वांछित फोटोप्रति शुल्क राशि रू. 06/— (रूपये छः मात्र) जमा राजकोष कराये जाने हेतु अपीलार्थी को लिखा गया था। अपीलार्थी द्वारा आदिनांक तक प्रकरण में शुल्क जमा नहीं कराया गया है की सूचना प्रेषित की जा चुकी है।
6. अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में वांछित सूचना हेतु फोटोप्रति शुल्क जमा कराये जाने पर चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।
7. उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है।
8. निर्णय आज दिनांक 27.11.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, अलवर